दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि :- 30 जनवरी, 2023

रि.या.(सि) 315/2020 और सि.वि.आ. 929/2020

श्रीमती बेनी .....याचिकाकर्ता

द्वारा : सुश्री अदिति गुप्ता, अधिवक्ता। (मो:- 9811046710)

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार व अन्य ..... प्रतिवादी

द्वारा : श्री सत्यकाम, अति.स्था.अधि. सह सुश्री पल्लवी सिंह, प्रत्यर्थी-1 की अधिवक्ता।
श्री नवीन रोहेजा, डीयूएसबीआई के अधिवक्ता। (मो:- 9810129691)

कोरमः

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह,

<u>प्रतिभा एम. सिंह, न्या. (मौखिक)</u>

1. यह सुनवाई हाइब्रिड मोड द्वारा से की गई है।

2. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता श्रीमती बेनी द्वारा दायर की गई है, जो वर्ष 2001 से वर्ष 2010 के बीच अपने पति और बच्चों के साथ झुग्गी नंबर 27, काली बाड़ी मार्ग, जी-प्वाइंट, गोल मार्केट, नई दिल्ली की निवासी थीं। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता के पति ने वर्ष 2009 में उसे छोड़ दिया और पूरे जे.जे. क्लस्टर को वर्ष 2010 में ध्वस्त कर दिया गया कहा

गया है. याचिकाकर्ता के अनुसार, वह रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार की नीति के अनुसार, स्थानांतरण और पुनर्वास की हकदार है। तदनुसार, उसने, अपने झुग्गी निवासियों के साथ, ***'धर्मपाल सिंह व अन्य बनाम रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार व अन्य'*** शीर्षक वाली रि.या.(सि) 1798/2011 दायर की। उक्त याचिका का निपटान दिनांक 10 अक्तूबर, 2011 को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ किया गया था :-

> *"20. इन परिस्थितियों में, निम्नलिखित निर्देशों के साथ याचिका का निपटान किया जाता है :-*
> *क) याचिकाकर्ता दिनांक 6 नवंबर, 2011 को या उससे पहले उक्त स्थल को खाली कर दें;*
> *ख) यदि याचिकाकर्ता या उनमें से कोई भी या कोई अन्य व्यक्ति, जिसके पास कब्जा है, उक्त तारीख तक स्थल को खाली करने में विफल रहता है, तो प्रत्यर्थी अस्पताल उनको हटाने के लिए उचित बल का उपयोग करने का हकदार होगा ताकि भूमि प्रत्यर्थी अस्पताल की विस्तार परियोजना के लिए उपलब्ध हो। प्रत्यर्थी सं. 10 थाना प्रभारी, पुलिस थाना- मंदिर मार्ग को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि प्रत्यर्थी अस्पताल के पास दिनांक 7 नवंबर, 2011 को खाली जगह का कब्जा हो;*
> *ग) प्रत्यर्थी डीयूएसआईबी को निर्देश दिया जाता है कि वह, दिनांक 15 दिसंबर, 2011 को या उससे पूर्व निर्धारित नीति के तहत, पुनर्स्थापन के लिए सभी सत्तर याचिकाकर्ताओं की पात्रता प्राप्त करे;*

घ) चुनाव कार्यालय और खाद्य आपूर्ति कार्यालय को प्रत्यर्थी डीयूएसआईबी द्वारा मांगे गए सत्यापन का तुरंत जवाब देने का निर्देश दिया जाता है;

ङ) जिन दस याचिकाकर्ताओं के बारे में कहा गया है कि उन्होंने अपने दस्तावेज प्रत्यर्थी डीयूएसआईबी को प्रस्तुत नहीं किए हैं, वो इन्हें दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 को या उससे पहले प्रस्तुत करें;

च) याचिकाकर्ता श्री हरीश वत्स के समक्ष पहली बार दिनांक 17 अक्तूबर, 2011 को सुबह 11:00 बजे और उसके बाद यदि अपेक्षित हो तो बाद की तारीखों पर पेश होंगे। प्रत्यर्थी डीयूएसआईबी दिनांक 20 दिसंबर, 2011 को या उससे पहले भूमि स्वामित्व एजेंसी अर्थात एल एंड डीओ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

छ) प्रत्यर्थी एल एंड डीओ को निर्देश दिया जाता है कि वह इस प्रकार पात्र पाए गए याचीगण को रिपोर्ट के अनुसार और सरकार की नीति के अनुसार स्थानांतरित करे;

ज) याचीगण या उनमें से ऐसे व्यक्ति यदि उक्त रिपोर्ट से व्यथित रहते हैं तो उनके पास विधिक उपचार उपलब्ध रहेंगे;

झ) जिस स्थान पर याचीगण को अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया है उसके नजदीक के सरकारी स्कूल, याचीगण के बच्चों को जिस सरकारी स्कूल में वे वर्तमान में जा रहें हैं से नए स्कूल में स्थानांतरित करने की अनुमति दें;

जे) प्रत्यर्थी डीयूएसआईबी के सीईओ उपरोक्त निर्देशों का पालन करें।"

उपर्युक्त आदेश के अनुसार, पात्र पाए गए ऐसे सभी निवासियों को डीयूएसआईबी की नीति के अनुसार स्थानांतरित किया जाना था।

3. इसके बाद, रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित शीर्षक के साथ दिशा-निर्देश जारी किए गए :- *'जेएनएनयूआरएम-2013 के तहत झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के स्थानांतरण / पुनर्वास और फ्लैटों के आवंटन की योजना के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश' (इसमें इसके पश्चात्, 'जेजे योजना')*। याचिकाकर्ता ने उक्त योजना के तहत पुनर्वास के लिए आवेदन किया। पात्रता निर्धारण समिति ने दिनांक 5 जनवरी, 2016 से दिनांक 15 जनवरी, 2016 के बीच एक शिविर आयोजित किया, जहां याचिका दायर करने वाले 85 झुग्गी निवासियों में से केवल 52 पुनर्वास के हकदार पाए गए। याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित कर दिया गया।

4. याचिकाकर्ता ने डीयूएसआईबी के अपीलीय बोर्ड के समक्ष अपात्रता की घोषणा को चुनौती दी। कथित अपीलीय बोर्ड ने इस आधार पर याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया कि उसने वर्ष 2009 और 2010 के लिए मतदाता पहचानपत्र प्रस्तुत नहीं किया था। उक्त आदेश इस प्रकार हैः

> *"श्रीमती बेनी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं। उसकी अपील पात्रता निर्धारण समिति के उस निर्णय के खिलाफ है जिसमें उसे वैकल्पिक आवासीय इकाईयों के आवंटन के लिए अयोग्य घोषित किया गया है क्योंकि उसका नाम 2009 और 2010 की मतदाता सूची में नहीं है।*

*अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उनकी बात सुनी गई है। **वह वर्ष 2009 और 2010 की मतदाता सूची में अपना नाम दर्शाने वाले दस्तावेज पेश नहीं कर सकी। इसलिए उसकी अपील खारिज की जाती है और मामला बंद किया जाता है।"***

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि योजना के अनुसार, विभिन्न अन्य दस्तावेजों को झुग्गी में निवास के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है| याचिकाकर्ता की अपील को अस्वीकार करने का एकमात्र आधार यह है कि मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह ***रि.या.(सि) 5378/2017 में शीर्षक 'उदल और अन्य बनाम दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड और अन्य*** में विद्वान खंड पीठ के निर्णय के विपरीत है जहां न्यायालय द्वारा उसी मुद्दे पर विचार किया जा रहा था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्राधिकारी को मामले में समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा।

6. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण की ओर से, यह रेखांकित किया जाता है कि दिशा-निर्देशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य है और अन्य दस्तावेज केवल मतदाता पहचान पत्र के अतिरिक्त होंगे।

7. योजना के परिशीलन से पता चलता है कि किसी भी झुग्गी निवासी को जे. जे. योजना के तहत पुनर्वास में विचार करने के लिए, प्राधिकारियों द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज मांगे जाते हैं।

"7. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी पात्र जे.जे. पुनर्वास योजना से छूट न जाए, निवास प्रमाण के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों पर विचार किया जाएगाः

क. जे.जे. निवासियों का नाम भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्धारित मतदाता सूची में प्रस्तावित कट ऑफ तिथि अर्थात 04 जून, 2009 को या उससे पहले और सर्वेक्षण के वर्ष में भी होना चाहिए।

ख. उपरोक्त के अतिरिक्त, जे.जे. निवासियों के निवासी प्रमाण पत्र को प्रमाणित करने के लिए 4 जून, 2009 को या उससे पहले जारी किए गए निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करेगे:

(i) पासपोर्ट

(ii) फोटो सहित राशन कार्ड

(iii) ड्राइविंग लाइसेंस

(iv) राज्य / केंद्र सरकार और / या इसके स्वायत्त निकायों / संस्थाओं जैसे पीएसयू / स्थानीय निकायों द्वारा जारी फोटो के साथ पहचान पत्र / स्मार्ट कार्ड

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटो सहित पासबुक।

(vi) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र फोटो के साथ

(vii) फोटोग्राफ के साथ पेंशन दस्तावेज जैसे पूर्व सैनिकों की पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, पूर्व सैनिकों की विधवा/आश्रित प्रमाणपत्र , वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश।

(viii) फोटो के साथ स्वतंत्रता सेनानी का पहचान पत्र।

(ix) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटो सहित शारीरिक रूप से विकलांग का प्रमाणपत्र ।

(x) फोटो के साथ स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना)।

(xi) सरकारी स्कूल से बस्तियों /जे.जे. निवासियों के वंशजों के नाम पर जारी फोटो वाला पहचान पत्र।

(xii) जे.जे समूह में रहने वाले व्यक्ति को अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रामाणिकता और सत्यता के बारे में नोटरी पब्लिक के समक्ष विधिवत शपथ पत्र दाखिल करना होगा।

नाबालिग कानूनी उत्तराधिकारी के मामले में उपर्युक्त निर्धारित दस्तावेजों / आवश्यकता को डी.यू.एस.आई.बी के सी.ई.ओ द्वारा रियात दिया जा सकता है उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया के अलावा, यदि कोई वास्तविक मामला / मामले अभी भी छूट जाते हैं, तो डी.यू.एस.आई.बी. के

सी.ई.ओ मामला आधारित मामले पर उसकी वास्तविकता का निर्णय कर सकते हैं|

8. इस योजना पर विद्वान् खंडपीठ द्वारा ***उदल (उपर्युक्त)*** के मामले में विचार किया गया जिसमे खंडपीठ ने अभिनिर्धारित किया कि संबंधित पक्षकारों को पुनर्वास योजना हेतु पात्र माने जाने के लिए राशन कार्ड, स्कूल अभिलेख, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड आदि सहित अन्य दस्तावेजों को अभिलेख पर रखने की अनुमति दी जाएगी|

9. केवल यह तथ्य कि राजनितिक दल नाम दर्शाते हुए मतदाता सूची प्रस्तुत नहीं कर सकते जो झुग्गी झोपड़ी के निवासियों के पुनर्वास के निरर्हता के लिए पर्याप्त नहीं होगा| ***ऊदल (उपर्युक्त)*** मामले में न्यायालय की टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं:-

> *"14. यह सामान्य बात है कि आवास का अधिकार जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुनिश्चित किया गया मौलिक अधिकार है| यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि जीवन का अधिकार केवल पशु मात्र जीने का अधिकार नहीं है बल्कि एक उचित वास-सुविधा का हक है (संद.:मनु/एससी/0286/1996 : (1996) 2 एससीसी 549, चमेली सिंह और अन्य बनाम यु.पी. राज्य व अन्य और मनु/एससी/0115/1990 : (1990) 1 एससीसी 520, मैसर्स शांतिस्टार बिल्डर्स बनाम नारायण खिमालाल टोटामे)| इस अधिकार की रूपरेखा का आगे विस्तार सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय मनु/एससी/0051/1997 : (1997) 11 एससीसी 123 में*

प्रकाशित द्वारा किया गया, अहमदाबाद नगर निगम बनाम नवाब खान गुलाब खान व अन्य के मामले में न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब झुग्गी निवासी कुछ समय से किसी स्थान पर निवास कर रहे हैं तो यह सरकार का कर्तव्य बन जाता है कि वह झुग्गी निवासियों के आवास के लिए योजनाएं बनाए| इन निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए, इस न्यायालय ने मनु/डीई/0353/2010 : 168 (2010) डीएलटी 298, सुदामा सिंह व अन्य बनाम दिल्ली सरकार व अन्य में, दिल्ली के मास्टर योजना के प्रावधानों पर भरोसा किया और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के इन-सीटू पुनर्वास पर जोर दिया है|

Xxx

17. याचिगण और इन 28 व्यक्तियों के दस्तावेजों की डीयूएसआईबी द्वारा जाँच की गई जिसने उन्हें मुख्य रूप से इस कारण से अयोग्य होने पर खारिज कर दिया कि उनके नाम वर्ष 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016 की मतदाता सूची में शामिल नहीं थे| इसके अलावा, कुछ याचिगण आर&आर नीति, 2015 के भाग-ख के खंड 2 में उल्लिखित 12 दस्तावेजों में से कोई भी पेश करने में असमर्थ थे| याचिगण को अयोग्यता पत्र प्रत्यर्थी सं. 1 के उपनिदेशक (पुनर्वास) द्वारा जारी किए गए और इन्हें दिनांक 20 दिसंबर, 2016 से याचिगण को सौंपे गए|

Xxx

32. जहाँ तक याचिकाकर्ता सं. 2,3,4,5 और 10 से संबंध है, यह देखा गया है कि इन्होंने अन्य बातों के साथ वर्ष 2002-

2017 के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड, राशन कार्ड, गैस/तेल बिल, बिजली बिल, बीएसईएस मीटर तब्दीली आख्या, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, बच्चों के विद्यालय विकास रिपोर्ट, बच्चों के रिपोर्ट कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पैन कार्ड, किसी एक पक्ष के पति/पत्नी का मृत्यु प्रमाणपत्र, एलआईसी पॉलिसी आदि के दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है| इसके अलावा, ये याचिगण उन स्कूलों से दस्तावेज पेश करने में समर्थ थे जहां उनके बच्चे पढ़ रहे थे| इसलिए, भले ही ये याचिगण नीति में निर्धारित अवधि में मतदाता सूची में अपने नाम का अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सके, लेकिन, यदि प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को समग्रता से देखा जाता है तो यह इन व्यक्तियों का निवास और अस्तित्व वर्ष 1998 से 2016 तक की अवधि के लिए राजीव शिविर में स्थापित करता है|

xxx

*36. प्रत्यर्थी सं. 1 के लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री परविंदर चौहान ने दृढ़तापूर्वक यह प्रतिवाद किया है कि आर एंड आर नीति के भाग-ख के खंड 1(iii) की इस आशय से आवश्यकता है कि व्यक्ति का नाम निर्धारित पांच वर्षों में से किसी मतदाता सूची में अवश्य होना चाहिए, यह अनिवार्य है और जहां तक आर एंड आर नीति के तहत पुनर्वास के लिए वैकल्पिक फ्लैट के आवंटन का संबंध है, इस तरह के मतदाता सूची में नाम दिखाई देने में विफलता घातक होनी चाहिए। **दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, दुर्भाग्य से हम इस प्रस्तुति से सहमत होने में असमर्थ हैं।** इन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड, राशन कार्ड, तेल /*

*गैस बिल, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र, बिजली बिल, एलआईसी पॉलिसी, गैस कनेक्शन रिकॉर्ड और बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र के साथ-साथ **बच्चों के स्कूल में प्रवेश के रिकॉर्ड, उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड शामिल हैं, जो सभी घटना स्थल पर अपनी मौजूदगी दर्शाते हैं**। इस संबंध में एक वास्तविक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। हमने पाया कि अयोग्य पाए गए व्यक्तियों के पास मतदाता पहचान पत्र सहित सार्वजनिक पहचान पत्र थे। ऐसे व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, यदि वह व्यक्ति उस समय घर पर नहीं था, जब बूथ स्तर अधिकारी ने संबंधित व्यक्ति की झुग्गी का दौरा किया। ऐसा उस व्यक्ति के व्यवसाय के कारण हो सकता है या उस व्यक्ति और परिवार के वयस्कों के कारण हो सकता है जो झुग्गी छोड़ काम के लिए बाहर गए थे। जाहिर है, बूथ स्तर के अधिकारी या सर्वेक्षण करने वाला कोई भी व्यक्ति परिवार के वयस्क सदस्यों से नहीं मिला हो। इस प्रकार परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य मतदाता सूची में शामिल किए जाने वाले नामों की जानकारी देने के लिए उपस्थित नहीं होगा।*

XXXX XXXX XXXX

*39. हम पाते हैं कि आर एंड आर नीति, 2015 के भाग-ख के खंड 2 के अनुसार, यह अनिवार्य किया गया है कि झुग्गी झोपड़ी के निवासियों के पास **12 दस्तावेजों में से "कोई एक" दस्तावेज होना चाहिए**। उपर्युक्त मामलों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों ने 1990 के दशक के उत्तरार्ध से शुरू अब तक कई*

अभिलेख प्रस्तुत किए हैं। मामले के इस दृष्टिकोण में, उपर्युक्त अनुच्छेद 37 व 38 में वर्णित व्यक्ति स्पष्ट रूप से नीति के लाभ के हकदार हैं। <u>हमारा विचार है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा अपात्रता पत्र दिनांकित 22 दिसंबर, 2016, नीति के भाग-ख के खंड 1(iii) और खंड 2 के असंयुक्त पठन के कारण, इन व्यक्तियों को जारी किया गया है। इसे एक साथ पढा जाना चाहिए और उन दस्तावेजों के समग्र विचार पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए जिन्हें आर एंड आर नीति, 2015 के भाग-ख के खंड 1(iii) व खंड 2 में विस्तृत रूप से दायर किए जाने की आवश्यकता है।</u>"

10. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता यह स्थापित करने के लिए कि वह कथित झुग्गी की निवासी थी, उसकी दो बेटियों के विभिन्न स्कूल अभिलेख पर भरोसा जताती है। वह उक्त उद्देश्य के लिए अपने स्वयं के बैंक रिकॉर्ड, बैंक पासबुक आदि पर भी भरोसा जताती है।

11. प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने विभिन्न आपत्तियां उठाई हैं और उसकी बेटी कविता के स्कूल के दस्तावेजों में विरोधाभास दिखाया है।

12. अपीलीय बोर्ड द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि एकमात्र आधार जिस पर उसे अयोग्य ठहराया गया है, वह 2009 और 2010 की मतदाता सूची में उसका नाम न होने के कारण है। ***ऊदल (पूर्वोक्त)*** के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, अपीलीय बोर्ड को इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कि क्या याचिकाकर्ता पुनर्वास के लिए हकदार है या नहीं, अन्य सभी

दस्तावेजों पर भी विचार करना होगा। याचिकाकर्ता का मामला केवल इस आधार पर अस्वीकृत नहीं किया जा सकता कि मतदाता आईडी कार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया था। विद्वान खंड पीठ का निर्णय सीधा एवं स्पष्ट है कि उक्त झुग्गी में निवास स्थापित करने वाले अन्य दस्तावेजों पर समग्र रूप से विचार किया जाना चाहिए। इन नीतियों का उद्देश्य का आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु पुनर्वास एवं नए स्थान पर बसाने का है तथा इसका निर्वचन संकीर्ण व रूढ़िवादी तरह के बजाय एक व्यापक व लाभदायक परिपेक्ष में किया जाना चाहिए।

13. तदनुसार, डीयूएसआईबी अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण को याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए सभी अन्य दस्तावेजों पर विचार करते हुए उसके मामले पर नए सिरे से विचार करने तथा **4 महीने के भीतर** उस पर निर्णय दिया जाए।

14. अपीलीय प्राधिकारी इस पर भी गौर कर सकता है और पूछताछ कर सकता है कि क्या याचिकाकर्ता के पति को कोई वैकल्पिक आवास आवंटित किया गया है या नहीं। याचिकाकर्ता दिनांक **20 फरवरी, 2023 को 11:30 बजे** सुनवाई के लिए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। याचिकाकर्ता को उचित सुनवाई देने के बाद अपीलीय प्राधिकारी द्वारा एक स्पष्ट तर्कसंगत आदेश पारित किया जाएगा।

15. सभी लंबित आवेदनों के साथ रिट याचिका का उपरोक्त शर्तों में निपटान किया किया जाता है।

प्रतिभा एम सिंह
न्यायमूर्ति

30 जनवरी, 2023/डीके/एएम

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*